प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा)क्रमांक 6713/2009

याचिकाकर्ता रोशन प्रसाद सिदार

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

और

रिट याचिका(सेवा) क्रमांक 6714, 6746, 6793, 7170 और 7335/2009

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाएं)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

याचिकाकर्ता :	श्री राकेश एंथोनी अधिवक्ता
उत्तरवादीगण :	श्री एम.पी.एस.भाटिया उप शासकीय अधिवक्ता

आदेश (मौखिक)

(29 मार्च, 2010 को पारित)

1. इस याचिका समूह में याचिकाकर्ता, सुनवाई का अवसर दिए बिना, अपने संबंधित नियुक्ति आदेशों को निरस्त किए जाने से व्यथित हैं।

2. इन याचिकाओं, अर्थात् याचिका (सेवा) क्रमांक 6713, 6714, 6746, 6793, 7170 और 7335 / 2009, में विधिक प्रश्न यह है कि क्या विधिवत चयन के बाद नियुक्त किए गए याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियाँ, कुछ अभ्यर्थियों द्वारा कथित रूप से झूठे और जाली दस्तावेज़

प्रस्तुत करने के आधार पर, सुनवाई का अवसर दिए बिना, निरस्त की जा सकती हैं? अतः इन याचिकाओं पर इस सामान्य आदेश द्वारा विचार और निर्णय किया जा रहा है।

3. संक्षेप में, याचिकाओं में निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं का चयन बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ड्रेसर और सहायक ग्रेड-III के पदों पर नियुक्ति के लिए उचित चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था और तदनुसार उनकी नियुक्ति की गई। याचिकाकर्ताओं ने अपने-अपने पदों पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है, 26-8-2003, 26-8-2003, 26-8-2003, 25-8-2003, 26-8-2003 को क्रमशः संबंधित स्थानों पर नियुक्तियाँ की गईं और याचिकाकर्ता को रिट याचिका(सेवा) क्रमांक 7335/2009 के आदेश दिनांक 1-10-2003 के अनुसार कार्यभार ग्रहण लिया गया। कुछ समय बाद, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ ने दिनांक 31-10-2009 के आदेश द्वारा झूठे और जाली दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के आधार पर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति रद्द कर दी। विवादित आदेश रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6713/2009 में **अनुलग्नक पी./09** के रूप में दर्ज किया गया हैI

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने ये याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें उन आदेशों को अभिखंडित करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिनके द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवाएं बर्खास्त कर दी गई हैं, तथा संबंधित पदों और स्थानों पर उनकी सेवाओं को जारी रखने की अनुतोष प्रदान की गई है।

5. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि एक बार जब याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति उचित चयन प्रक्रिया और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद हो गई है, तो सुनवाई का अवसर दिए बिना उनकी नियुक्ति निरस्त नहीं की जा सकती। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि याचिकाकर्ताओं को उन दस्तावेजों की वास्तविकता या प्रामाणिकता साबित करने के लिए कम से कम सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था, जिन्हें कथित तौर पर,

लगभग पाँच वर्षों की अवधि के बाद, अधिकारियों द्वारा, याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के बाद, झूठे और जाली दस्तावेजों के रूप में पाया गया था।

6. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भाटिया ने तर्क दिया कि वास्तव में, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, बर्खास्तगी आदेश पारित किए गए हैं। श्री भाटिया जी ने तर्क किया है कि नियुक्ति आदेश में ही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी भी समय, यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज झूठे और जाली पाए जाते हैं, तो कर्मचारी की सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं। अतः उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा समाप्ति आदेश विधिसम्मत रूप से पारित किए गए हैं।

7. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, तथा उनके तर्कों और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति उचित चयन प्रक्रिया और उनके दस्तावेजों के सत्यापन के बाद की गई थी। तत्पश्चात, यह पाया गया कि कुछ अभ्यर्थियों/याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत कुछ दस्तावेज वास्तविक नहीं थे; इसलिए, चयन प्रक्रिया के तहत जारी किए गए याचिकाकर्ताओं के नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए गए।

9. इन प्रकरण में, ऐसा प्रतीत होता है कि मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 3-10-2009 **(अनुलग्नक पी./08 प्रकरण क्रमांक** रिट याचिका (सेवा) क्रमांक6713/2009) को एक नोटिस जारी किया गया था हालाँकि उसके बाद याचिकाकर्ताओं को आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया।

10. 'कारण बताओ नोटिस' का तात्पर्य है कि नोटिस पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का स्पष्ट नोटिस का अवसर देना है। इस प्रकार, प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए, दस्तावेजों की वास्तविकता या

प्रामाणिकता साबित करने के लिए जवाब दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस दिए बिना ही याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में एक सूचना लाई गई।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स एवं अन्य बनाम सुभाष एंड कंपनी** मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की:

(2003) 3 एससीसी 454

“15."नोटिस" शब्द लैटिन शब्द "नोटिफ़िया" से आया है जिसका अर्थ है "ज्ञात होना" या "जानना"। यह कानूनी दायरे में इतना व्यापक है कि इसमें किसी वाद में दायर वादपत्र भी शामिल है। विभिन्न न्यायिक शब्दकोशों और शब्दकोशों में "नोटिस" की परिभाषा इस प्रकार दी गई है:

न्यायिक शब्दकोष, शब्द और वाक्यांश न्यायिक रूप से व्याख्यायित, द्वितीय संस्करण, एफ. स्ट्राउड द्वारा (पृष्ठ 1299)।

“नोटिस किसी वस्तु का प्रत्यक्ष और निश्चित कथन है, तथा यह उन सामग्रियों की आपूर्ति से भिन्न है जिनसे ऐसी वस्तु के अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है।"

वेबस्टर यूनिवर्सल कॉलेज डिक्शनरी, 1997 संस्करण, (पृष्ठ 543)

"किसी आसन्न घटना की सूचना, चेतावनी या घोषणा; अधिसूचना; अपने इरादों की सूचना देना; लिखित या मुद्रित बयान जिसमें ऐसी सूचना या चेतावनी दी गई हो; किराये या रोजगार के संबंध में, कि अनुबंध एक निर्दिष्ट तिथि को बर्खास्त हो जाएगा 'उसने अपने नियोक्ता को दो सप्ताह का नोटिस दिया।'"।

ऑक्सफोर्ड संक्षिप्त शब्दकोश

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"सूचना; सूचना, चेतावनी" और इसका अर्थ "सूचना देना", "सूचना प्राप्त करना" या "किसी चीज़ की औपचारिक सूचना या कुछ करने का निर्देश" है और इसका अर्थ "छोड़ने की सूचना", "अगली सूचना तक" है।''

चैंबर्स 20 सेंचुरी डिक्शनरी, 1993 (पृष्ठ 1154)

"सूचना; घोषणा; सूचना; चेतावनी, लिखित, सूचना या चेतावनी देने वाला पोस्टर; तैयारी के लिए दिया गया समय, आदि।"

चैंबर्स डिक्शनरी, एलाइड चैंबर्स (इंडिया) लिमिटेड, पुनर्मुद्रण 1994, 1995 (पृष्ठ 1154)

“सूचना; घोषणा, किसी अनुबंध के किसी पक्ष द्वारा उस अनुबंध को समाप्त करने के अपने इरादे की औपचारिक घोषणा।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चैंबर्स डायरी विद एलाइड चैंबर्स (इंडिया) लिमिटेड, पुनर्मुद्रण 1904, 1005 (पृष्ठ 1154)

"सूचना, घोषणा, किसी अनुबंध के किसी पक्ष द्वारा उस अनुबंध को समाप्त करने के इरादे की औपचारिक घोषणा, सूचना, विशेष रूप से किसी भावी घटना के बारे में, चेतावनी, सूचना या चेतावनी देने वाला कोई लेख, तख्ती, बोर्ड आदि, तैयारी के लिए दिया गया समय, संज्ञान, अवलोकन, ध्यान, उल्लेख, नाटकीय या कलात्मक समीक्षा, शिष्टाचार या सम्मानजनक व्यवहार, कोई धारणा आदि।''

लॉ लेक्सिकॉन डिक्शनरी - न्यायिक रूप से परिभाषित कानूनी शब्दों और वाक्यांशों का एक कानूनी शब्दकोश, चौथा संस्करण, खंड II, 1989 (पृष्ठ 226)

"किसी व्यक्ति को किसी तथ्य की जानकारी तब होती है, जब वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है, या जब वह जानबूझकर किसी जांच या तलाशी से, जो उसे करनी चाहिए थी, विरत रहने या घोर लापरवाही के कारण नहीं होता, तो उसे वह तथ्य ज्ञात होता।"

लॉ लेक्सिकॉन डिक्शनरी, दूसरा संस्करण, 1997 (पृष्ठ 1322)

(1) सूचना; कोई लिखित सामग्री; तख्ती, बोर्ड, आदि जो सूचना या चेतावनी देता हो (धारा 154 आईपीसी और अनुच्छेद 61 (2) (ए), भारत का संविधान);

(2) ज्ञान या संज्ञान (धारा 56, भारतीय साक्ष्य अधिनियम)।

16. "सूचना", अपने कानूनी अर्थ में, किसी तथ्य से संबंधित ऐसी सूचना के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी पक्ष को वास्तव में संप्रेषित की गई हो, या उसके द्वारा किसी उचित स्रोत से वास्तव में प्राप्त की गई हो, या फिर कानून द्वारा उसके द्वारा अर्जित मानी गई हो, और जिसे उसके कानूनी परिणामों में ज्ञान के समतुल्य माना जाता है। शब्दकोश में आगे कहा गया है: **को लिट 309 टॉमलिन्स लॉ डिक्शनरी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. सूचना किसी ऐसी बात को ज्ञात कराना है जिसके बारे में व्यक्ति पहले अनभिज्ञ था या हो सकता है और इसके विविध प्रभाव होते हैं, क्योंकि इसके द्वारा, सूचना देने वाले पक्ष को वही लाभ प्राप्त होगा जो उसे नहीं मिलना चाहिए था। जिस पक्ष को सूचना दी जाती है, उस पर कोई ऐसी कार्रवाई या आरोप लगाया जाता है जिसके लिए वह उत्तरदायी नहीं होता और उसकी संपत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा होता है।

18. "सूचना किसी वस्तु का प्रत्यक्ष और निश्चित कथन है, जो उन सामग्रियों की आपूर्ति से भिन्न है जिनसे उस वस्तु के अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है।" (**पर पार्क, बी. बर्ग बनाम लेग**)।

19. शब्दकोष में "नोटिस" की कुछ अन्य परिभाषाएँ इस प्रकार दी गई हैं:

वह कानूनी साधन जिसके द्वारा ज्ञान संप्रेषित किया जाता है, या जिसके द्वारा किसी को ज्ञान का भार सौंपा जाता है।

'नोटिस' शब्द अपने पूर्ण कानूनी अर्थ में उन परिस्थितियों के ज्ञान को समाहित करता है जो संदेह या विश्वास को प्रेरित करती हैं, साथ ही उस तथ्य की प्रत्यक्ष जानकारी भी।

- अपने लोकप्रिय अर्थ में 'सूचना' खुफिया जानकारी या ज्ञान के बराबर है।

12. उपर्युक्त परिस्थितियों के अंतर्गत, इस न्यायालय का यह मत है कि यह अभिनिर्धारित नही किया जा सकता कि आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया था। वर्तमान प्रकरण में, ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष कार्यवाही के सिद्धांतों के तहत अपेक्षित सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि कोई आदेश सिविल परिणामों के साथ आता है, तो वह दूषित हो जाता है, यदि कर्मचारियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया जाता है। (देखें **श्रवण कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, डी.के. यादव बनाम जे.एम.ए. इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य, बासुदेव तिवारी बनाम सिदो कान्हू विश्वविद्यालय एवं अन्य, केनरा बैंक एवं अन्य बनाम देबाशीष दास एवं अन्य", विवेकानंद सेठी बनाम अध्यक्ष, जेएंडके बैंक लिमिटेड एवं अन्य, मोहम्मद सरताज एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, इंद्रप्रीत सिंह कहलों एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ एवं अन्य", मणिपुर राज्य एवं अन्य बनाम वाई.टोकन सिंह एवं अन्य",“जसवंत सिंह प्रताप सिंह जडेजा बनाम राजकोट म्युनिसिपल कारपोरेशन एवं अन्य ”,नेहरु युवा केंद्र संघटन बनाम महबूब आलम लास्कर, पंजाब सरकार एवं अन्य विरुद्ध आरक्षक अवतार सिंह (मृत) द्वारा विधिक वारिसान**

एआईआर (1991) एससी 310

(1993) 3 एससीसी 259

एआईआर. (1998) एस सी. 3261

(2003) 4 एससीसी 557

(2005) 5 एससीसी 337

(2006) 2 एससीसी 315

एआईआर 2006 एस.सी. 2571

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2007) 4 एससीसी 54

(2007) 5 एससीसी 65

14. इस न्यायालय ने **कु. पुनम एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य** के मामले में, जिसमें एक समान मुद्दा विचारार्थ आया था, निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

20. यह सुस्थापित है कि प्राकृतिक न्याय के नियमों का उद्देश्य केवल न्याय प्रदान करना नहीं है, बल्कि न्याय की विफलता को रोकना है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक आदेश पर भी लागू होते हैं, यदि ऐसा आदेश किसी नागरिक के अधिकार को प्रभावित करता है।

20. XXX XXX XXX

21. मामलों के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांत को लागू करने पर, एक समान सूत्र यह है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत बेलगाम नहीं है। प्राप्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन

किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, उन मामलों में, जहाँ तथ्य स्वीकार किए जाते हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन आवश्यक नहीं हो सकता है। दूसरे, बड़े पैमाने पर हुई अनियमितता या सामूहिक रूप से रद्दीकरण के कारण चयन को निरस्त करने की स्थिति में, सुनवाई का अवसर प्रदान करना व्यावहारिक रूप से असंभव या अत्यधिक असंभाव्य है। तीसरे, सुनवाई का अवसर प्रदान करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।"

15. तत्पश्चात, कु. पूनम (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अनुपात को **मृत्युंजय शुक्ला एवं अन्य बनाम नगर निगम रायपुर एवं अन्य15** में अनुमोदनपूर्वक संदर्भित किया गया है।

(2007) 10 एससीसी 71

17(2008) 2 एससीसी 479

(2008) 7 एससीसी 405

(2008) 2 सीजीएलजे 366

(2000) 1 सीजीएलजे 97

"(2007) 10 एससीसी 71

(2008) 2 एससीसी 479

(2008) 7 एससीसी 405

"(2008) 2 सीओएलजे 300

(2009) 1 कोल) 97

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. प्रकरण के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, इन रिट याचिकाओं में पारित दिनांक 31-10-2009 के आक्षेपित आदेश अभिखंडित किए जाते हैं। याचिकाकर्ता बिना किसी बकाया वेतन के अपनी-अपनी सेवाओं में पुनः बहाल होने के हकदार हैं। तथापि, प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उत्तरवादीगण को यह स्वतंत्रता सुरक्षित है कि वे, यदि सलाह दी जाए, तो प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष कार्यवाही के मूल सिद्धांतों का पालन करते हुए, विधि के अनुसार उचित कार्रवाई/कदम उठाएँ।

17. परिणामस्वरूप, रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता हैI

सही /-

सतीश कुमार अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ---------- Shubha Shrivastava